न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–246/2011

CIS NO. TS-505/2018

हरिहर महतो उर्फ ठग महतो...वादी

बनाम

नथुनी मियाँ एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
06.04.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 15.12.2021 के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 15.12.2021 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0–03 की गवाही चल रही थी। जिनका प्रतिपरीक्षण स्थागित किया गया था जिनपर मो0–1900/– रूपये कॉस्ट की राशि बकाया है। आज उनके द्वारा या उनके अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य हेतु उपस्थित होने की सूचना वादी के अधिवक्ता को नही दी गयी तथा साक्षी सं0–03 को मुक्त करा दिया गया। साक्षी सं0–03 सुनिल प्रसाद आवश्यक साक्षी है। जिसका प्रतिपरीक्षण होना न्यायहित में अति आवश्यक है। यदि साक्षी सं0–03 को साक्ष्य हेतु पुनः रिकॉल नही किया जाता है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि साक्षी सं0–03 सुनिल प्रसाद को पुनः बुलाने की कृपा करे। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा कहा गया कि वादी को प्रतिपरीक्षण हेतु पर्याप्त समय दिया गया था परंतु वादी साक्षी का प्रतिपरीक्षण नही कर सका। अतः वादी का आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभिलेख प्रतिवादी बहस हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि बिना प्रतिपरीक्षण के साक्षी के साक्ष्य की सत्यता की जाँच नही किया जा सकता है। अतः साक्षी का प्रतिपरीक्षण आवश्यक है। बिना प्रतिपरीक्षण के साक्षी के मुख्य परीक्षण का सामान्य रूप से कोई महत्व नही है। अतः वादी के आवेदन दिनांक 15.12.2021 को मो0–500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 22.03.	

लगातार 06.04.2023	2022 के आदेश को वापस लेते हुए वाद प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है। आगामी दिनांक 26.04.2023 वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	